श्री देव सुमन उत्तराखण्ड़ विश्वविद्यालय

बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड़–249 199

Sri Dev Suman Uttarakhand Vishwavidhyalay

Badshahithaul, Tehri Garhwal–249 199

Tel. : 01376 – 254065 (O)
Fax : 01376 – 254065
Website: www.sdsuv.ac.in

संस्थागत एवं व्यक्तिगत परीक्षर्थियों के मार्ग दर्शन हेतु आवश्यक निर्देश

संस्थागत/व्यक्तिगत अभ्यर्थियों को स्पष्ट निर्देशित किया जाता है, कि ऑन लाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने से पहले नीचे दिये गये निर्देशों को भलीभांति पढ़ लें। किसी भी प्रकार की त्रुटि की अवस्था में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।

1. ऑन लाइन परीक्षा प्रपत्र समिट करने से पूर्व आवश्यक जांच कर ले कि फार्म सही भरा गया है, एवं समस्त प्रविष्टयां पूर्ण रूप से सही भरी गयी हैं।
2. व्यक्तिगत परीक्षार्थी बी0ए0/एम0ए0 (भूतपूर्व को छोड़कर) प्रायोगिक परीक्षा वाले विषयों के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं।

1. कोई भी परीक्षार्थी अर्थशास्त्र एवं शिक्षाशास्त्र के साथ दर्शनशास्त्र विषय का चयन नहीं कर सकता है।
2. एक विषय में स्नातक परीक्षा देने की सुविधा इस विश्वविद्यालय में नहीं है।
3. जो परीक्षार्थी जिस परीक्षा में बैठना चाहता है, उसे विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र ऑन लाइन भरकर विश्वविद्यालय सीमा के अन्दर उसी महाविद्यालय में जमा करना होगा जिसे उन्होंने अपना परीक्षा केन्द्र चयन किया है। उसी परीक्षा केन्द्र का प्राचार्य आवेदन पत्र अग्रसारित करेगा, आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय में जमा हो जानी चाहिये। आवेदन पत्र के साथ सभी प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति लगाना आवश्यक है। यदि आवेदन पत्र की हार्ड कापी महाविद्यालय में जमा करने की तिथि को अवकाश हो तो उससे अगला कार्य दिवस अन्तिम माना जायेगा।
4. विश्वविद्यालय की निम्नलिखित परीक्षाओं में बैठने की शर्तें निम्नवत् हैः–

(अ) 1. बी0ए0/बी0काम/बी0एस0सी प्रथम वर्ष, की परीक्षा हेतु परीक्षार्थी ने इण्टर की परीक्षा बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट एजुकेशन उत्तराखण्ड/उत्तर प्रदेश सी0बी0एस0ई0 की (10+2) परीक्षा अथवा अन्य कोई समकक्ष परीक्षा (10+2) जो श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय को मान्य हो, उत्तीर्ण की हो ।

2. बी0ए0/बी0काम/बी0एस0सी0 प्रथम वर्ष यदि परीक्षार्थी प्रथम वर्ष की परीक्षा किसी विश्वविद्यालय से, जो इस विश्वविद्यालय को मान्य हो, उत्तीर्ण की हो बशर्ते इस विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम तथा मार्किंग स्कीम उसके समतुल्य हो।

(ब) 1. एम0ए0 व एम0काम पूर्वाद्ध यदि कोई परीक्षार्थी बी0ए0, बी0एस0सी0 व बी0काम की परीक्षा या अन्य कोई समकक्ष परीक्षा किसी भी विश्वविद्यालय से जो इस विश्वविद्यालय को मान्य हो, उत्तीर्ण की हो।

2. एक सिटिंग में स्नातक उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी इस विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा के लिए अर्ह नहीं है।

3. यदि किसी परीक्षार्थी ने बी0ए0/बी0एस0सी0 की परीक्षा बिना गणित विषय लेकर उत्तीर्ण की हो तो एम0ए0 गणित में परीक्षा नहीं दे सकता है।

स) अन्य विश्वविद्यालय से स्नातक भाग एक या दो, स्नातकोत्तर पूर्वाद्ध परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थियों को स्नातक भाग दो और तीन, स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध की परीक्षा में तभी सम्मिलित किया जायेगा, जब अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की गयी परीक्षा का पाठ्यक्रम इस विश्वविद्यालय के अनुकूल हो और इस विश्वविद्यालय के कुलसचिव से परीक्षा देने की लिखित अनुमति प्राप्त कर ली गयी हो, अन्यथा सुविधा मान्य नहीं होगी, परीक्षार्थी को अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की गई परीक्षा की अंक तालिका इस विश्वविद्यालय में आवेदन पत्र के साथ जमा करनी होगी, तदोपरान्त ही विश्वविद्यालय से दी गई परीक्षा का परीक्षाफल घोषित किया जायेगा। अन्यथा परीक्षाफल घोषित नहीं होगा, जिसकी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की नहीं होगी।

5. आवेदन पत्र निरस्त होने की स्थिति में किसी प्रकार का शुल्क वापस नहीं होगा, और न ही परीक्षा शुल्क आगामी वर्ष के लिए संचित होगा।
6. भूतपूर्व छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति तभी अनुमन्य होगी जबकि वह नियमित संस्थागत छात्र/छात्राओं के रूप में विद्योपार्जन करता रहा हो और लिखित परीक्षा में अनुर्तीण रहा हो, ऐसे अभ्यर्थी उसी परीक्षा केन्द्र से परीक्षा में सम्मिलित होंगे, जिस परीक्षा केन्द्र से विगत वर्ष में अनुतीर्ण रहा हो, गत वर्षों की अंकतालिकाओं की प्रति अवश्य संलग्न करें, परन्तु ऐसे छात्र भी जिन्होंने संस्थागत छात्र के रूप में निर्धारित उपस्थिति अर्जित की हो और उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा अनुक्रमांक आवंटित कर प्रवेश पत्र निर्गत हुआ हो, तथा वे किन्हीं कारणों से परीक्षा में सम्मिलित न हो सकें, को ड्राप आउट केस मानते हुये भूतपूर्व छात्र/छात्रा की श्रेणी में माना जायेगा।

7. यदि दृष्टि विहीन अभ्यर्थी किसी सेवारत मुख्य चिकित्साधिकारी से दृष्टि विहीन का प्रमाण–पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करे, तो उसका शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा लौटा दिया जायेगा।
8. कोई भी परीक्षार्थी एक साथ दो उपाधियों के लिए संस्थागत अथवा व्यक्तिगत रूप से आवेदन नहीं कर सकता।
   1) महाविद्यालय प्रत्येक छात्र से फार्म अग्रसारण शुल्क रू0 100 की रसीद देगा।
   2) विश्वविद्यिालय/महाविद्यालय में आवेदन पत्र जमा होने पर किसी भी प्रकार का केन्द्र अथवा विषय परिवर्तन नही होगा, यदि अभिभावक या स्वयं परीक्षार्थी के स्थानान्तरण होने पर तथा शादी (केवल महिला अभ्यर्थी के मामले में) हो जाने पर सप्रमाण आवेदन करने पर ही हो सकेगा, इसके लिए रू0 300 अतिरिक्त शुल्क देय होगा, इस हेतु विश्वविद्यालय से कुलपति महोदय अनुमति प्रदान करेंगे, जब दोनेा महाविद्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र (N0 Objection) लेकर अभ्यर्थी आवेदन करेगा।
9. यदि कोई अभ्यर्थी किसी सरकारी/गैर–सरकारी/अर्ध–सरकारी विभाग में कार्यरत् हो तो विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि कीसी परीक्षार्थी को त्रुटिवश परीक्षा में बैठने की अनुमति मिल जाती है तो कुलसचिव उसे निरस्त कर सकता है चाहे परीक्षार्थी को अनुमति पत्र प्राप्त हो चुका हो और उसने वह अनुमति केन्द्राध्यक्ष को प्रस्तुत भी कर दी हो।
10. परीक्षार्थी हिन्दी, अंग्रेजी एवं संस्कृत में से केवल दो ही साहित्यिक विषय ले सकता है।
11. बी0काम का परीक्षार्थी जिन्होंने इण्टरमीडिएट बिना वाणिज्य के उत्तीर्ण की हो उन्हें एक अतिरिक्त प्रश्नपत्र एलीमेन्ट्री बुक कीपिंग एण्ड एकाउन्टेन्सी की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है अन्यथा उपाधि निर्गत नहीं की जायेगी।
12. एम0काम0 की परीक्षा वही अभ्यर्थी दे सकते हैं जिन्होंने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निम्नलिखित उपाधि प्राप्त कर ली होः–
   1) बी0काम 2) बी0ए0 अर्थशास्त्र अथवा गणित सहित 3) बी0एस0सी गणित यदि बी0ए0 तथा बी0एस0सी में गणित न हो तो बी0ए0 अर्थशास्त्र की परीक्षा देनी अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त इन दोनों विषयों में उपाधि प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को अनिवार्य रूप से एलीमेन्ट्री बुक कीपिंग एण्ड एकाउन्टेंसी की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही उपाधि प्रदत्त होगी।
13. कोई भी परीक्षार्थी बिना पंजीकरण व नामांकन कराये विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकता है। परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में मोबाइल नम्बर और कैल्कुलेटर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
14. जो परीक्षार्थी पहले से ही अन्य किसी विश्वविद्यालय में नामांकित है, तो उसको आवेदन पत्र के साथ उस विश्वविद्यालय का प्रवजन प्रमाण–पत्र (Migration Certificate) देना होगा। उक्त प्रमाण पत्र यदि आवेदन पत्र के साथ नहीं आया तो प्रत्येक दशा में एक माह के भीतर रू0 250.00 के साथ अवश्य आ जाना चाहिये।
15. परीक्षार्थी प्रश्नोत्तर का माध्यम हिन्दी अथवा अंग्रेजी दोनों में से एक रख सकता है।
16. सम्पूर्णनन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से शास्त्री उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी केवल एम0ए0 पूर्वाद्ध संस्कृत में ही परीक्षा दे सकते हैं।
17. छात्र /छात्रओं द्वारा जिन विषय/प्रश्नपत्रों की परीक्षाओं का बहिष्कार किया जायेगा, उनकी पुनः परीक्षा नहीं की जायेगी और ऐसी दशा में उनको उस विषय/प्रश्न पत्र में शून्य अंक देकर परीक्षाफल घोषित किया जायेगा।
18. जिन छात्र/छात्राओं की परीक्षा किसी कारण छूट जाती है, तो वह पुनः नहीं होगी।
19. अंक सुधार परीक्षा के लिये अलग से निर्धारित फार्म भरना अनिवार्य होगा।
20. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र साधारणत परीक्षा शुरू होने से 10 दिन पूर्व ऑन लाइन प्राप्त कर सकते हैं।
21. परीक्षार्थी विश्वविद्यालय से पत्राचार करते समय परीक्षा का नाम, विषय केन्द्र तथा पूरा पता एवं मोबाइल नम्बर अवश्य लिखें, अन्यथा उनके पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा, परीक्षा आवेदन पत्र अपूर्ण होने पर निरस्त कर दिया जायेगा।
22. सेना मे सेवारत सरकारी कर्मचारी जो कि विश्वविद्यालय की परिसीमा के अर्न्तगत सेवा कर रहे हैं, वे भी विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सम्मिलित हो सकते हैं, उन्हे अपने कमांडिग अफिसर से इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि वे इस विश्वविद्यालय की परिसीमा में कार्यरत हैं।

23. महिला परीक्षार्थी के विवाह होने के कारण कुमारी के स्थान पर श्रीमती तथा जाति परिर्वतन के संशोधन के लिए प्रथम श्रेणी के मजिस्टेट से 10.00 रूपये के जनरल स्टाप पर शपथ पत्र प्रस्तुत कर मूल रूप से प्रमाण पत्र उपलब्ध करना अनिवार्य होगा, अन्यथा परीक्षाफल घोषित न कर परीक्षा आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
24. भूतपूर्व अभ्यर्थियों को तीन वर्ष के अर्न्तगत परीक्षा उत्तीण करना अनिवार्य होगा, किन्तु प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष की परीक्षायें छः वर्ष के अर्न्तगत पूर्ण करनी होगी।
25. भूतपूर्व परीक्षार्थी उसी महाविद्यालय से परीक्षा में सम्मिलित होंगे, जहां वह संस्थागत छात्र/छात्राओं के रूप में अध्यनरत थे।
26. अभ्यर्थी का परीक्षा फार्म परीक्षा शुल्क न होने के कारण अपूर्ण तथा बिना अंकतालिका के विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ तो विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे समस्त परीक्षा आवेदन पत्रों को निरस्त कर सकता है।
27. व्यक्तिगत परीक्षार्थी विषय/प्रश्न पत्र चयन हेतु महाविद्यालय/केन्द्र में पढ़ाए जाने वाले विषय/प्रश्न पत्र/उपखंड का ही चयन करें।
28. बी0ए0 व्यक्तिगत अभ्यर्थी इतिहास विषय में ऑकलोजी (पुरातत्व) का प्रश्न पत्र न भरें ।
29. बी0ए0 प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के व्यक्तिगत अभ्यर्थी शिक्षाशास्त्र विषय में प्रयोगात्मक परीक्षा का प्रश्न पत्र न भरें।
30. एम0ए0 उतरार्द्ध हिन्दी में व्यक्तिगत अभ्यर्थी प्रश्न पत्र अष्टम् में खण्ड ''र'' बगंला एवं ''ल'' तमिल का प्रश्न पत्र न भरें।
31. एम0ए0 उतरार्द्ध गणित विषय के व्यक्तिगत अभ्यर्थी नवम् प्रश्न पत्र ix (d),ix(f), ,oa ix(g), उपखण्ड न भरें।
32. एम0ए0 उतरार्द्ध संस्कृत विषय के व्यक्तिगत अभ्यर्थी '' वर्ग एक'' के प्रश्न पत्र षष्ठम् , सप्तम् एवं अष्ठम, न भरें।
33. एम0ए0 उतरार्द्ध दर्शनशास्त्र विषय के व्यक्तिगत अभ्यर्थी षष्ठम् एवं सप्तम् (A) षष्ठम् एवं सप्तम् (B) षष्ठम एवं सप्तम(C) षष्ठम एवं सप्तम(E) षष्ठम् एवं सप्तम् (G) का प्रश्न पत्र न भरें।
34. एम0ए0 प्रथम वर्ष इतिहास के अभ्यर्थी जो तृतीय प्रश्न पत्र में वर्ग(A) ;k (B) ;k (C), esa ls ftldks Hkh p;u fd;k gks] prqFkZ iz'u i= dks Hkh mlh oxZ ls p;u djuk gksxkA mnkg.kZkFk III (A) ds lkFk IV(A), III (B) ds lkFk,IV(B), III (C) ds lkFk, IV(C) ysuk gksxkA
35. एम0ए0 द्वितीय वर्ष इतिहास के छात्र पंचम् एवं षष्ठम् प्रश्न पत्र में उसी वर्ग का चयन करेंगे, जो उन्होने एम0ए0 प्रथम वर्ष में तृतीय एवं चतुर्थ प्रश्न पत्र के लिए किये थे।
नोटः– यदि परीक्षार्थी एम0ए0 प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष के प्रश्नपत्रों तृतीय एवं चतुर्थ तथा पंचम एवं षष्ठम प्रश्नपत्रों की परीक्षायें गलत वर्ग से देता है, तो एक प्रश्न पत्र गलत वर्ग होने के फलस्वरूप शून्य अंक मान्य होगा।
36. एम0ए0 द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान के अभ्यर्थी प्रश्न पत्र अष्टम् में एक ही ग्रुप के प्रश्न पत्रों का चयन करना आवश्यक है।
37. अखिल भारतीय शिक्षा परिषद, दिल्ली (All India Board Of Secondary Eduction Delhi) से कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाला अभ्यर्थी इस विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकता है।
38. राष्ट्रीय ओपन स्कूल से उत्तीर्ण, सेकेण्डरी व सीनियर सेकेण्डरी परीक्षा 10+2 परीक्षा पद्धति से पांच विषयों में उत्तीर्ण होने पर ही बी0ए0/बी0काम0/बी0एस0सी प्रथम भाग की परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। 11 वर्ष में ही सीनियर सेकेण्डरी अथवा चार विषयों में ही उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं है।
39. जिन्होंने 10+2+2, 10+1+3, 11+3 अथवा उसके समकक्ष पद्धतियों से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे इस विश्वविद्यालय की एम0ए0/एम0काम0 परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।

40. यदि अभ्यर्थी को परीक्षा प्रारम्भ होने से 3 दिन पूर्व तक प्रवेश पत्र एवं परीक्षा कार्यक्रम नहीं मिलता है, तो वे सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रों से सम्पर्क कर निर्धारित शुल्क रू0 10.00 देकर द्वितीय प्रवेश पत्र एवं परीक्षा कार्यक्रम प्राप्त कर सकते हैं।
41. वैध प्रवेश पत्र के बिना परीक्षा में सम्मिलित होना अथवा महाविद्यालय द्वारा परीक्षा में सम्मिलित कराया जाना मान्य नहीं है, ऐसे छात्रों का परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय घोषित नहीं करेगा, किसी भी दशा में अभ्यर्थी इसके लिये स्वंय उत्तरदायी होगा।
42. विश्वविद्यालय के नियमानुसार परीक्षार्थी को तीन वर्षीय स्नातक परीक्षा, दो वर्षीय स्नातकोत्तर परीक्षा पूर्ण करने हेतु समयावधि की गणना शैक्षिक सत्र से की जायेगी, जो क्रमशः तीन वर्षीय पाठयक्रम को छः वर्ष तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रम को चार वर्ष में पूर्ण कर लेना होगा, तद्पोरान्त उसके द्वारा उत्तीर्ण की गयी पूर्ण परीक्षा रद्द समझी जायेगी।
43. विश्वविद्यालय किसी ऐसे परीक्षार्थी की परीक्षा रद्द कर सकता है, जिसने विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों एवं निर्देशों के विरूद्ध कार्य किया हो अथवा जिसने परीक्षा फार्म के साथ जाली प्रमाण पत्र की प्रतियां संलग्न की हों। यदि जांच में कोई भी प्रमाण–पत्र फर्जी पाये गये तो अभ्यर्थी के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए प्रकरण पुलिस को निर्दिष्ट किया जायेगा।
44. मान्य विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षण स्नातक (बी0पी0ई0) त्रिवर्षीय पदवी अभ्यास क्रम उपाधि उर्त्तीण अभ्यर्थी इस विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष (प्रयोगात्मक विषय को छोड़कर) व्यक्तिगत परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह है।
45. व्यक्तिगत परीक्षार्थी लधुशोध प्रबन्ध डिजरटेशन नहीं ले सकते हैं।
46. बी0ए0 प्रथम भाग में चयन किये गये विषय ही द्वितीय तथा तृतीय भाग में लेने होंगे, स्नातक द्वितीय अथवा तृतीय वर्ष में पर्यावरण विषय उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा उपाधि प्रदत्त नहीं की जायेगी। पर्यावरण विषय का शुल्क अलग से निर्धारित किया गया है।
47. हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग/इलाहाबाद से कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा हेतु अर्ह नहीं है।
48. विश्वविद्यालय परिसीमा के अर्न्तगत निम्नलिखित जनपदों में निवास करने वाले अभ्यर्थी ही विश्वविद्यालय की व्यक्तिगत परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैंः– जनपद– पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, चमोली, देहरादून तथा हरिद्वार।

परीक्षा आवेदन पत्र भरने की विधि

1. उपरोक्त सभी कार्यवाही पूर्ण कर परीक्षार्थी को परीक्षा फार्म के साथ आवश्यक प्रमाण–पत्रों को संलग्न कर अपने चयनित परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित तिथि के भीतर जमा करना होगा, जिसकी केन्द्र से रसीद प्राप्त कर परीक्षार्थी को सुरक्षित रखनी चाहिये।
2. सभी परीक्षा प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियां जैसे अंकतालिकायें, प्रमाण–पत्र एवं माइग्रेशन (मूल रूप में) परीक्षा आवेदन पत्र के साथ भंलीभांति नत्थी कर लेनी चाहिए।

परीक्षा उत्तीर्ण होने के नियम

1. स्नातक परीक्षा के किसी भाग की परीक्षा के एक विषय/ग्रुप में 20 प्रतिशत अंक तथा शेष विषय प्रत्येक विषय/ग्रुप में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक तथा परीक्षा के कुल अंको का योग न्यूनतम 33 प्रतिशत होने पर ही परीक्षार्थी उत्तीर्ण माना जाएगा।
2. प्रयोगात्मक परीक्षा एवं लिखित परीक्षा में अलग–अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

स्नातक श्रेणी निर्धारण

प्रथम श्रेणी– 60 प्रतिशत द्वितीय श्रेणी – 45 प्रतिशत तृतीय श्रेणी – 33 प्रतिशत

1. बी0एड0/एम0एड0 स्नातकोत्तर स्तर पर प्रत्येक भाग के लिखित एवं प्रयोगात्मक परीक्षा के योग में न्यूनतम 36 प्रतिशत अंक पृथक–पृथक प्राप्त करना अनिवार्य है।
2. बी0एड0 प्रयोगात्मक परीक्षा एवं लिखित परीक्षा में अलग–अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

स्नातकोत्तर श्रेणी निर्धारण

प्रथम श्रेणी– 60 प्रतिशत द्वितीय श्रेणी – 48 प्रतिशत तृतीय श्रेणी – 36 प्रतिशत

विशेषः– ऐसे अभ्यर्थी जिन्होनें अर्थशास्त्र अथवा गणित मुख्य विषय लेकर बी0ए0, बी0एस0सी0 परीक्षा उत्तीर्ण की है, और एम0काम0 प्रथम वर्ष की परीक्षा के साथ उन्हें क्वालीफाईंग विषय में भी परीक्षा देनी होगी, तथा उसमें 36 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

1. स्नातक द्वितीय वर्ष में पर्यावरण विषय लेना अनिवार्य होगा, जिसका उत्तीर्णांक 33 प्रतिशत होगा।

क – किसी भी परीक्षा में दिये गये किसी भी प्रकार के कृपांक योग में नहीं जोड़े जायेंगे।

ख – स्नातक भाग तीन की परीक्षा में यदि अभ्यर्थी 33 प्रतिशत अंक किसी एक विषय में प्राप्त नहीं कर पाता है, और अन्य दो विषयों में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों तो ऐसे अभ्यर्थी को न्यूनतम 33 प्रतिशत अंकों से अधिक प्रत्येक 9 अंको पर एक अंक का कृपांक देय होगा, लेकिन अधिकतम सीमा 3 अंको तक ही रहेगी। (उदाहर्णाथ)– प्राप्तांक 149/450 में 1 अंक, 159/450 में 2 अंक, 169/450 में 3 अंक या इससे अधिकतम प्राप्तांकों पर 3 अंक)

ग) – परीक्षार्थी उपरोक्तनुसार अपना परीक्षाफल भली प्रकार जांच लें, और किसी भी प्रकार की गलती पाये जाने की स्थिति में एक माह के अन्दर उपकुलसचिव (गोपनीय) से अंक तालिका ठीक करा लें, अन्यथा अंकतालिका में गलती बनी रहने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व परीक्षार्थी का होगा।

अंक सुधार परीक्षा के लिए अर्हता

1. परीक्षाफल में सुधार करने की दृष्टि से उत्तीर्ण अथवा अनुतीर्ण परीक्षार्थी को विश्वविद्यालय की केवल आगामी अंक सुधार परीक्षा में स्नातक स्तर पर प्रत्येक भाग की परीक्षा के एक विषय के सभी अथवा एक अथवा दो प्रश्न–पत्रों में स्नातकोत्तर स्तर पर प्रत्येक भाग के किसी एक प्रश्न पत्र में, बी0एड0 की परीक्षा के दो प्रश्न–पत्रों में बैठने की अनुमति देय होगी।
2. स्नातक परीक्षा के किसी भी भाग की परीक्षा में अंक सुधार परीक्षा में बैठने हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्ध आवश्यक हैं।

   क) एक विषय में उत्तीर्ण 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है।

   ख) दूसरे विषय में 20 प्रतिशत अंक या ग्रेस की सीमा श्रेणी निर्धारण के उपरोक्त बिन्दु 1 में उल्लिखित शर्त पूर्ण करता है।

   ग) तीसरे विषय में यदि अनुतीर्ण हो और उक्त शर्तो को अभ्यर्थी पूर्ण करता हो तो तभी अंक सुधार परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है।
3. पर्यावरण एवं क्वालीफाईंग विषयों में यह सुविधा अनुमान्य नहीं है।

परीक्षा फार्म भरकर जमा करने हेतु तिथियां

1.	आनलाइन शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि	15.03.2017
2.	आवेदन पत्र महाविद्यालय में जमा करने की अन्तिम तिथि	18.03.2017
3.	आवेदन पत्र महाविद्यालय द्वारा वि0वि0 को प्रेषित करने की अन्तिम तिथि –	30.03.2017
4.	विलम्ब शुल्क रू0 1000.00 सहित महा0 में जमा करने की अन्तिम तिथि '–	30.03.2017
5.	अन्तिम तिथि के उपरान्त किसी भी दशा में परीक्षा आवेदन पत्र स्वीकार नही कियें जायेगें।	

कुलसचिव।

शुल्क सम्बन्धी आवश्यक सूचना

वर्ष 2016–17 में व्यक्तिगत/संस्थागत परीक्षार्थी के परीक्षा शुल्क का विवरण निम्नवत् है, परीक्षा शुल्क को ऑन–लाइन/बैंक चालान के द्वारा निम्नवत् राशि जमा करनी होगीः–

संस्थागत हेतु स्नातक कक्षा (प्रथम वर्ष)

परीक्षा शुल्क	–	750.00
नये परीक्षार्थियों का नामांकन शुल्क	–	150.00
कुल योग	–	900.00

संस्थागत हेतु स्नातक कक्षा (द्वितीय वर्ष)

परीक्षा शुल्क	–	750.00
पर्यावरण शुल्क	–	150.00
कुल योग	–	900.00

संस्थागत हेतु स्नातक कक्षा (तृतीय वर्ष)

परीक्षा शुल्क	–	750.00
उपाधि शुल्क	–	150.00
कुल योग	–	900.00

व्यक्तिगत स्नातक कक्षा (प्रथम वर्ष)

परीक्षा शुल्क	–	1350.00
नये परीक्षार्थियों का नामांकन शुल्क	–	150.00
कुल योग	–	1500.00

व्यक्तिगत स्नातक कक्षा (द्वितीय वर्ष)

परीक्षा शुल्क	–	1350.00
पर्यावरण शुल्क	–	150.00
कुल योग	–	1500.00

व्यक्तिगत स्नातक कक्षा (तृतीय वर्ष)

परीक्षा शुल्क	–	1350.00
उपाधि शुल्क	–	150.00
कुल योग	–	1500.00

व्यक्तिगत स्नातकोत्तर कक्षा प्रथम वर्ष

परीक्षा शुल्क	–	1650.00
नये परीक्षार्थियों का नामांकन शुल्क	–	150.00
कुल योग	–	1800.00

व्यक्तिगत स्नातकोत्तर कक्षा द्वितीय वर्ष

परीक्षा शुल्क	–	1650.00
उपाधि शुल्क	–	150.00
कुल योग	–	1800.00

अग्रसारण अधिकारी हेतु आवश्यक निर्देशः–

1. सम्बन्धित परीक्षा केन्द्र/महाविद्यालय के प्राचार्य/प्राचार्या (अग्रसारण अधिकारी) छात्रों से 100.00 रू0 अग्रसारण शुल्क लेंगे। अग्रसारण शुल्क का उपभोग निर्धारित नियमों के अर्न्तगत ही किया जायेगा। परीक्षार्थियों को अग्रसारण शुल्क की रसीद देनी होगी।
2. नये परीक्षार्थी नामांकन शुल्क रू0 150.00 जमा करेंगे।

कुलसचिव।